राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1272/2021

डॉ. आभा जैन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थी

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.02.2021

आदेश की दिनांक : 13.11.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री किंशुक जैन, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री श्रवण सिंह शेखावत, ओआईसी

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 01.09.2017 जिसके द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को आरएएस सुपरटाईम स्केल पर रिक्ति वर्ष 2017–18 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया है, को अपास्त फरमाया जावे तथा आदेश दिनांक 23.02.2018 जिसके द्वारा आरएएस सुपरटाईम स्केल पर पदोन्नति मामले को बंद लिफाफे में रखा गया है, को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी के परिणाम को घोषित किया जावे तथा अपीलार्थी को उक्त पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति राजस्थान प्रशासनिक सेवा जूनियर स्केल के पद पर हुई थी और उसे रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध नियमानुसार आरएएस सीनियर स्केल के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया और रिक्ति वर्ष 2017–18 के विरूद्ध अपीलार्थी की पदोन्नति आरएएस सुपरटाईम स्केल पर देय थी, परंतु विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2017 में आयोजित की गई और अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया, जबकि उससे कनिष्ठ कार्मिक को उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध उक्त पद पर पदोन्नत कर दिया गया और आदेश दिनांक 23.02.2018 के द्वारा अपीलार्थी के परिणाम को यह कहते हुये बंद लिफाफे में रखा गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध अपराधिक मामला दर्ज है। अपीलार्थी जब डिप्टी चीफ प्रोटोकॉल के पद पर सामान्य प्रशासनिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर में कार्यरत थी और दिनांक 14.11.2013 को उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई, जो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई, जिसका चालान एसीबी कोर्ट जयपुर ने दिनांक 13.05.2016 को पेश किया गया और एफआईआर के आधार पर दिनांक 23.07.2016 को संज्ञान लिया गया तथा कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 02.05.2016 को अभियोजन स्वीकृत की गई। उनका कथन है कि अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध न तो कोई मांग किये जाने का प्रमाणित हुआ है और ऑडियो सीडी रिकार्डिंग के आधार पर अभियोजन स्वीकृति दी गई है। अपीलार्थी द्वारा एसीबी न्यायालय में सही एवं पूर्ण ट्रांसक्रिप्शन के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें पुनर्विचार करने हेतु कथन किया गया, परंतु माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने एस.बी.क्रिमिनिल पिटिशन संख्या 2928/2018 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.2018 को आदेश पारित करते हुये निर्देश दिये कि आरोप तय करने से पूर्व ऑडियो सीडी को सुना जावे एवं मिलान किया जावे और इस प्रकार दिनांक 12.03.2019 एवं 16.03.2019 को एसीबी न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत ट्रांसक्रिप्शन सही एवं पूर्ण है और इस प्रकार एसीबी न्यायालय में आरोप तय करने के संबंध में बहस के लिये मामला अभी तक लंबित है और दिनांक 01.04.2017 को अपीलार्थी के विरूद्ध अपीलार्थी के मामले के संबंध में कोई आरोप तय नहीं किये गये हैं और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2017–18 के विरूद्ध

आरएएस सुपरटाईम स्केल के पद के लिये अपीलार्थी के नाम पर विचार किया गया। परंतु उक्त मामला लंबित होने के आधार पर एवं एफआईआर दर्ज होने के आधार पर अपीलार्थी के परिणाम को बंद लिफाफे में रख दिया गया। जबकि उससे कनिष्ठ कार्मिक को उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिंदु संख्या 12.3 जिसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई अपराधिक मामला लंबित है, विभागीय जांच अथवा निलंबनाधीन है तो कार्मिक की पदोन्नति का परिणाम बंद लिफाफे में रखा जायेगा। इसी तरह भारत सरकार द्वारा भी आईएएस एवं आईपीएस सेवा अधिकारियों के संबंध में भी परिपत्र जारी किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र जिन पर राज्य सरकार द्वारा भी विचार किया गया है, जिन अधिकारियों के विरूद्ध अपराधिक मामला अथवा अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है उन आईएएस/आईपीएस अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति दी गई है। जबकि उनके विरूद्ध अपराधिक मामला चल रहा है, फिर भी उनके संबंध में पदोन्नति आदेश जारी किया गया है, जो अनुलग्नक–9 से प्रकट होता है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग आईएएस/आईपीएस एवं राज्य अधिकारियों के लिये दो अलग–अलग रवैये तरीके अपना रहा है, जबकि वर्ष 2000 में जारी परिपत्र के अनुसार ऐसे आईएएस/आईपीएस अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई है, जबकि उनके विरूद्ध अपराधिक मामला चल रहा है और अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप तय नहीं होते हुये भी उसकी पदोन्नति परिणाम को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बंद लिफाफे में रखा गया है, जो नियम विरूद्ध है। इस प्रकार लंबे समय तक एसीबी प्रकरण चलने के आधार पर अपीलार्थी को पदोन्नति एवं आर्थिक मामले में नुकसान हो रहा है और अपीलार्थी सेवानिवृत्ति भी होगा परंतु अपीलार्थी वास्तविक लाभ लेने से वंचित रह जायेगा, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया, परंतु उसका कोई निराकरण नहीं किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अधिकरण के समक्ष उक्त मामले के समान अन्य मामलो में माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामलो में पारित आदेश प्रस्तुत किये हैं :–

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य स्पेशल लीव पिटिशन (सिविल) नं. 25590, 16735/2014, 163, 3387, 7076, 32844, 16056, 22134, 24163, 26263, 25818, 26227, 35679, 34237, 36072, 35371, 34395, 36027, 37617, 29520–29521/2016, 8306,

7241, 17436/2017, सिविल अपील संख्या 6961/2015, 8770, 8045–8046/2016, 12046 एवं 8611/2017 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2017

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम अजय कुमार शर्मा एवं अन्य CIVIL APPEAL NO.13727 OF 2015 [Arising out of SLP (C) No. 36166 of 2014] WITH C.A. No. 13728 of 2015 [arising out of SLP (C) No. 1425 of 2015] में पारित आदेश दिनांक 26.11.2015

3. माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक ने निहार रंजन चौधरी बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 21793/2021 An application under Articles 226 & 227 of the Constitution of India में पारित आदेश दिनांक 06.11.2023

4. Balasinor Nagrik Cooperative Bank Ltd. Vs Babubhai Shankerlal Pandya And Ors. On 10 February, 1987 Equivalent citations : AIR1987SC849, (1987)2GLR715, JT1987(1)SC462, 1987(1)SCALE348, (1987)1SCC606, 1987(1)UJ379(SC), AIR 1987 SUPREME COURT 849, (1987) COOPLJ 283 (1987) BANKJ 364, (1987) BANKJ 364

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने डॉ. आभा जैन बनाम राजस्थान राज्य एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6971/2016 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2016

इस प्रकार अपीलार्थी उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों एवं नियमों के अनुसार पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बंद लिफाफे को नहीं खोलने पर उसे पदोन्नति से वंचित रखा गया है, जो उक्त विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 01.09.2017 जिसके द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को आरएएस सुपरटाईम स्केल पर रिक्ति वर्ष 2017–18 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया है, को अपास्त फरमाया जावे तथा आदेश दिनांक 23.02.2018 जिसके द्वारा आरएएस सुपरटाईम स्केल पर पदोन्नति मामले को बंद लिफाफे में रखा गया है, को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी के परिणाम को घोषित किया जावे तथा अपीलार्थी को उक्त पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से ओआईसी ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष न्याय संगत नहीं है। चूंकि अपीलार्थी के विरूद्ध अपराधिक मामला लंबित था, जिसके कारण अपीलार्थी का पदोन्नति परिणाम बंद लिफाफे में रखा गया है। अपीलार्थी को सुनने का पूरा अवसर प्रदान किया गया है। तत्पश्चात् अभियोजन स्वीकृति जारी की गई और अपीलार्थी को निलंबन से बहाल किया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध अपराधिक मामला होने के कारण पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया, जिसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त किया गया, परंतु उसमें कोई ठोस आधार नहीं था। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि अपराधिक मामला अपीलार्थी के विरूद्ध लंबित होने के कारण उसे पदोन्नति से नहीं रोका जा सकता। चूंकि शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा के.वी. जानकी रमन वाले मामले के संबंध में भारत सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 14.09.1992 जारी किया गया, जिसमें यदि कोई संबंधित कार्मिक के विरूद्ध अपराधिक मामला चल रहा है तो उसे एडहॉक पदोन्नति प्रदान की जा सकती है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा भी दिनांक 26.11.1993 को परिपत्र जारी किया गया और उक्त परिपत्र के.वी. जानकी रमन वाले निर्णय के आधार पर जारी किया गया और इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 04.06.2008 जारी किया गया, जिसमें कोई सख्त, कठोरता नहीं दिखाई गई और पदोन्नति आदेश उनके संबंध में जारी किये गये, जो अपराधिक मामले का सामना कर रहे हैं। एक मामला हनुमानाराम जिसका एसीबी में ट्रायल चल रहा था, उसे पदोन्नत किया गया। इसी प्रकार अधिकरण द्वारा कई आदेश जारी किये गये, जिसकी पालना में राज्य सरकार ने बंद लिफाफे को खोला, जो अपराधिक मामले का सामना कर रहे थे। परंतु वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के पदोन्नति के संबंध में बंद लिफाफे में रखे गये परिणाम को उनके द्वारा लिफाफा नहीं खोला गया, जो नियम विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति राजस्थान प्रशासनिक सेवा जूनियर स्केल के पद पर हुई थी और उसे रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध नियमानुसार आरएएस सीनियर स्केल के पद पर पदोन्नति की गई और रिक्ति वर्ष 2017–18 के विरूद्ध अपीलार्थी की पदोन्नति आरएएस सुपरटाईम स्केल पर देय थी, परंतु विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2017 में आयोजित की गई और अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया, जबकि उससे कनिष्ठ कार्मिक को उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध उक्त पद पर पदोन्नत कर दिया गया और आदेश दिनांक 23.02.2018 के द्वारा अपीलार्थी के परिणाम को यह कहते हुये बंद लिफाफे में रखा गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध अपराधिक मामला दर्ज है। अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 14.11.2013 को एफआईआर दर्ज की गई, जिसका चालान एसीबी कोर्ट जयपुर ने दिनांक 13.05.2016 को पेश किया गया और एफआईआर के आधार पर दिनांक 23.07.2016 को संज्ञान लिया गया तथा कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 02.05.2016 को अभियोजन स्वीकृत की गई। तथ्यात्मक आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध माननीय एसीबी न्यायालय द्वारा चार्ज फ्रेम नहीं किये गये। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2017–18 के विरूद्ध आरएएस सुपरटाईम स्केल के पद के लिये अपीलार्थी के नाम पर विचार किया गया। परंतु उक्त मामला लंबित होने तथा एफआईआर दर्ज होने के आधार पर अपीलार्थी के परिणाम को बंद लिफाफे में रख दिया गया। जबकि उससे कनिष्ठ कार्मिक को उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई। जहां तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के आरएएस सुपरटाईम स्केल के पद पर पदोन्नति के संबंध में रखे गये बंद लिफाफे को नहीं खोले जाने का प्रश्न है, उक्त मामले के संबंध में मुख्य विचारणीय बिंदु निम्न प्रकार हैं :–

1. अपीलार्थी के विरूद्ध एसीबी प्रकरण लंबित होने के आधार पर बंद लिफाफे को नहीं खोले जाने का प्रश्न है –

   राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिंदु संख्या 12.7 में उल्लेख किया गया है – *''विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा राजसेवक की पदोन्नति हेतु चयन की सिफारिश बन्द लिफाफे में इसलिये रखी जाती है कि उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अथवा फौजदारी प्रकरण लम्बित है अथवा वह निलम्बित है।*

चयन की यह सिफारिश जो बन्द लिफाफे में रखी जाती है वह इस शर्त के साथ होती है कि राजसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण मं वह दोषमुक्त हो जाए अथवा निलम्बन से बहाल हो जाए तो पदोन्नत किया जाए। इस प्रकार की स्थिति में जब यदि राजसेवक उसके विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक/फौजदारी प्रकरण में दोषमुक्त हो जाए अथवा निलम्बन से बहाल हो जाए, तो सम्बन्धित प्राधिकारी बन्द लिफाफा खोलकर राजसेवक को पदोन्नत करने की कार्यवाही नियमानुसार करे। इसके लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समक्ष प्रकरण पुनः रखने की आवश्यकता नहीं है।''

उक्तानुसार अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निलंबन से बहाल किया जा चुका है और वर्तमान समय में राज्य सरकार में अपनी सेवायें दे रही है, परंतु विभाग द्वारा बंद लिफाफे को नहीं खोला जाना उचित प्रकट नहीं होता है।

2. तथ्यात्मक आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध माननीय एसीबी न्यायालय द्वारा अब तक चार्जफ्रेम नहीं होने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बंद लिफाफे को नहीं खोलने एवं उसे पदोन्नत नहीं किये जाने का प्रश्न है –

ऐसे मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.वी. जानकी रमन एवं अन्य (1991) 4 एससीसी 109 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> *"(1) It is only when a charge-memo in a disciplinary proceedings or a charge-sheet in a criminal prosecution is issued to the employee that it can be said that the departmental proceedings/criminal prosecution is initiated against the employee. The sealed cover procedure is to be resorted to only after the charge-memo/charge-sheet is issued. To deny promotion the disciplinary/criminal proceedings must be at the relevant time pending at the stage when charge-memo/charge-sheet has already been issued to the employee.*
>
> *(16.) On the first question, viz as to when for the purposes of the sealed cover procedure the disciplinary/criminal proceedings can be said to have commenced, the Full Bench of the Tribunal has held that it is*

only when a charge-memo in a disciplinary proceedings or a charge-sheet in a criminal prosecution is issued to the employee that it can be said that the departmental proceedings/criminal prosecution is initiated against the employee. The sealed cover procedure is to be resorted to only after the charge-memo/charge-sheet is issued. The pendency of preliminary investigation prior to that stage will not be sufficient to enable the authorities to adopt the sealed cover procedure. We are in agreement with the Tribunal on this point. The contention advanced by the learned counsel for the appellant-authorities that when there are serious allegations and it takes time to collect necessary evidence to prepare and issue charge-memo/charge-sheet, it would not be in the interest of the purity of administration to reward the employee with a promotion, increment etc. does not impress us. The acceptance of this contention would result in injustice to the employees in many cases. As has been the experience so far, the preliminary investigations take an inordinately long time and particulary when they are initiated at the instance of the interested persons, they are kept pending deliberately. Many times they never result in the issue of any charge-memo/charge-sheet. If the allegations are serious and the authorities are keen in investigating them, ordinarily it should not take much time to collect the relevant evidence and finalise the charges. What is further, if the charges are that serious, the authorities have the power to suspend the employee under the relevant rules, and the suspension by itself permits a resort to the sealed cover procedure. The authorities thus are not without a remedy."

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी S.B.Civil Writ Petition No. 18074/2018 Sandeep Kumar Barar V/s State of Rajasthan & Ors. वाले मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.2022 को निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

"Similar orders passed by the Department in the case of Shri Dinesh M.N., IPS and Shri A. Ponnuchamy, IPS are also reproduced for ready reference :

"Shri Dinesh M.N., IPS (RJ:1995), Managing Director, RAJSICO is hereby promoted in the Selectdion Grade (Pay Band-4: Rs. 37400-67000; plus Grade Pay Rs. 8700). Grade of the Deputy Inspector General of Police (Pay Band: Rs. 37400-67000 plus Grade Pay Rs. 8900) and Grade of the Inspector

General of Police (Pay Band: Rs. 37400-67000 plus Grade Pay Rs. 10000) of Indian Police Service with effect from 09.05.2014. The said scales/grades are granted subject to the outcome of all pending criminal proceedings against him."

"Shri A. Ponnuchamy, IPS (RJ:1991) is hereby promoted in the Grade of Additional Director General of Police (HAG Rs. 67000-79000) of Indian Police Service with effect from 27.10.2016 i.e. date of reinstatement in service subject to the outcome of all pending criminal proceedings against him."

In view of the above mentioned orders, it is clear that it has been a regular practice of the Department to promote the police officials subject to the decision of the criminal proceedings pending against them. Therefore, on the sole ground of discrimination, the present writ petition of the petitioner deserves to be allowed.

For the reasons discussed above, the writ petition succeeds and is hereby allowed. The respondents are directed to open the sealed cover pertaining to the recommendation of the screening meeting qua the petitioner. If the petitioner has been recommended for promotion, he be accorded promotion which shall be subject to the outcome of the criminal proceedings pending against him. The required orders be passed within a period of one month from the date of receipt of the copy of the present order."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा S.B.Civil Writ Petition No. 17238/2015 Kailash Chand Bohra V/s State of Rajasthan वाले मामले में भी दिनांक 16.05.2017 को आदेश पारित किया, जिसमें भी निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

"Undeniably, petitioner's case was considered for promotion by the DPC, but the result has been kept in sealed cover as has been informed by the counsel for the State-respondents. The sealed cover has not been opened only owing to pendency of the criminal proceedings against the petitioner. It is also not denied that identically situated employee namely Shri Hanuman Ram Bishnoi, who is a co-accused along with the petitioner, in the same crime pending trial before the jurisdictional Court, has been accorded promotion. No reasons have been put forth for not according same treatment to the petitioner.

Learned counsel for the State-respondents neither in response to the writ application nor to the additional affidavit,

detailed any reason as to why a differential treatment has been accorded in the matter of petitioner. Similarly placed persons, have been accorded benefit of promotion subject to outcome of criminal proceedings against them. There is no reason why the petitioner cannot be allowed similar treatment.

For the reasons and discussion aforesaid, the writ application succeeds and is hereby allowed. Respondents are directed to open the sealed cover and proceeded accordingly.

In case, the petitioner has been recommended for promotion, he would be accorded all consequential benefits on notional basis, subject to outcome of criminal proceedings pending against him."

इसी प्रकार "Shri Dinesh M.N., IPS and Shri A.Ponnuchamy, IPS are also reproduced for ready referrence :-

"Shri Dinesh M.N., IPS (RJ:1995), Managing Director, RAJSICO is hereby promoted in the Selection Grade (Pay Band-4: Rs.37400-67000;plus Grade Pay Rs.8700). Grade of the Deputy Inspector General of Police (Pay Band: Rs.37400-67000 plus Grade Pay Rs.8900) and Grade of the Inspector General of Police (Pay Band: Rs.37400-67000 plus Grade Pay Rs.10000) of Indian Police Service with effect from 09.05.2014. The said scales/grades are granted subject to the outcome of all pending criminal proceedings against him."

"Shri A. Ponnuchamy, IPS (RJ:1991) is hereby promoted in the Grade of Additional Director General of Police (HAG Rs. 67000-79000) of Indian Police Service with effect from 27.10.2016 i.e. date of reinstatement in service subject to the outcome of all pending criminal proceedings against him."

In view of the above mentioned orders, it is clear that it has been a regular practice of the Department to promote the police officials subject to the decision of the criminal proceedings pending against them. Therefore, on the sole ground of discrimination, the present writ petition of the petitioner deserves to be allowed."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5880/2019 Mukesh Modepatel versus State of Rajasthan & Others में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 जिसमें उपरोक्त आदेशों के आधार पर निम्नलिखित आदेश पारित किया है :–

"In view of the ratio as laid down in the above mentioned judgment and in view of the above observations, the present writ petition deserves to be and is hereby allowed.

The respondents are directed to open the sealed cover pertaining to the recommendation for the promotion of the present petitioner. If the petitioner has been recommended for promotion, he be granted promotion which shall be subject to the outcome of the criminal proceeding pending against him. The required order be passed within a period of two months from the date of receipt of the present order."

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी भी पदोन्नति पाने का अधिकारी है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 23.02.2018 जिसके द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति परिणाम बंद लिफाफे में रखा गया है, को अपास्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों एवं नियमों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार आरएएस सुपरटाईम स्केल के पद पर रिक्ति वर्ष 2017–18 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु अपीलार्थी का परिणाम जो बंद लिफाफे में रखा गया है, उसे खोलकर परिणाम घोषित किया जावे। यदि अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति हेतु योग्य पाया जाता है तो उसे उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे और जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को उक्त पदोन्नति आदि का लाभ दिया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी पदोन्नति आदि सहित समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी की उक्त पद पर पदोन्नति माननीय एसीबी न्यायालय में लंबित प्रकरण के निर्णयाधीन रहेगी। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से दो माह में सुनिश्चित की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष